सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03–11/सू.अधि./25–17/ 1354 रायपुर, दिनांक 03-04-17

प्रति,

जगदीश प्रसाद साहू, पिता –चैतराम साहू,
ग्राम व पो. –बसंतपुर जिला–जॉजगीर चांपा।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।
संदर्भः–आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 21.03.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 25–17, दिनांक 22.03.2017।

–::000::–

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के माध्यम से चाही जानकारी, इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संकलित कर ली गई है, जो कि कुल 02 पृष्ठ में उपलब्ध है, प्रदान की जाती है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो उक्त जानकारी के विरूद्ध, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष, निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रू. 50/– मात्र का भुगतान कर प्रथम अपील आवेदन निर्णय प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता निम्नानुसार हैः–

श्री पी.के.अग्रवाल
अपीलीय अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.संसा.)–एक
कार्यालय– मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर।
दूरभाष–0771–2574883

R. Jha 01/04/17

(राजीव झा)
जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.– मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित
कार्यालय मुख्य अभियंता(मा0संसा0)

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

क्र.03–11 / डीजीएम–दो / 791 रायपुर, दिनांक 23.02.2017

आदेश

2X500 मेगावाट, मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के संयंत्र निर्माण हेतु छत्तीसगढ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि के विस्थापित परिवार द्वारा नामांकित निम्न तालिका में दर्शित व्यक्ति को **अस्थायी रुप से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर जूनियर अटेण्डेंन्ट (फायर)** के पद पर वेतनमान रूपये 7000–175(6)–8050–225(11)–10525 / – के न्यूनतम् वेतन, अर्थात् रूपये 7000 / – (रूपये सात हजार) पर नियुक्त करते हुए कार्यालय **कार्यपालक निदेशक (उत्पादन), मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना, जांजगीर–चांपा** में पदस्थ किया जाता है। इन्हें विद्युत उत्पादन कंपनी में उक्त पद पर समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी।

नामित व्यक्ति का विवरण					
नाम	जन्म तारीख	पिता का नाम	खातेदार से संबंध	शैक्षणिक अर्हता	जाति
रामनाथ	05.07.1978	चैतराम	स्वयं	12वीं	ओबीसी

2. यह नियुक्ति पदस्थापना के उपरोक्त कार्यालय में कार्य पर उपस्थित होने की तारीख से प्रभावशील होगी।

3. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा, राज्य शासन या केन्द्रीय सरकार के कोई नियम / विनियम / परिपत्र ग्राहय किये जाने पर या कोई कानून / नियम / विनियमन / नीति कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे अभ्यर्थी पर स्वयमेव लागू होंगे।

4. उक्त नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि उपरोक्तानुसार संतोषप्रद ढंग से पूर्ण करने के पश्चात् उसकी नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा एवं उपयुक्त पाये जाने पर तत्समय प्रवृत्त वेतनमान में नियमित नियुक्ति दी जाएगी।

5. परिवीक्षा अवधि के दौरान यह नियुक्ति किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक मास का नोटिस अथवा नोटिस के एवज में एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01 / 47 दिनांक 05.09.2007 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यालयीन कार्य के लिये की गई यात्रा के लिये नियमानुसार यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थी को कंपनी नियमानुसार आकस्मिक अवकाश एवं 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। परिवीक्षा की कालावधि में अर्जित अवकाश एवं अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

9. नियुक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अग्रिम, यथा मोटर साइकिल, भवन, अनाज एवं त्यौहार अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

10. नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति प्रतिवेदन के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूलप्रतियां प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बिना उसका उपस्थिति प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा :–

(1) हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा (10वीं) की अंकसूची तथा प्रमाण–पत्र, (2) हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा (12वीं) की अंकसूची तथा प्रमाण–पत्र, (3) जिला चिकित्सालय बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, (4) स्थायी निवासी प्रमाण–पत्र, (5) एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. के मामले में जाति प्रमाण–पत्र।

11. अभ्यर्थी को पदस्थापना के स्थान पर उपस्थिति देते समय इस आदेश के साथ संलग्न प्रारुप में भूमि, आय से संबंधित घोषणा पत्र, अर्जित भूमि आदि से संबंधित खातेदार का शपथ–पत्र, जाति सत्यापन से संबंधित सहमति पत्र, चरित्र सत्यापन संबंधी प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त उसे इस आशय का घोषणा–पत्र देना होगा कि यदि चरित्र सत्यापन में अभ्यर्थी को कंपनी की सेवा/ शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो कंपनी द्वारा उनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त (Terminate) की जा सकती हैं।

12. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के आवेदन में दी गई जानकारी को सही मानते हुए दी जा रही है। यदि नियुक्ति के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित भर्ती नियमों / शर्तो के अनुसार भर्ती के लिये अर्हता प्राप्त नहीं था या उसने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मिथ्या प्रमाणपत्र/ शपथ–पत्र/ घोषणा–पत्र/ जानकारी दी है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी एवं अन्य कानून सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी।

13. अभ्यर्थी को परीविक्षा के दौरान आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावेगा जिसे अभ्यर्थी पूर्ण निष्ठा के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे।

14. अभ्यर्थी की सेवाएं समान वेतनमान के पद के विरुद्ध छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी में कहीं भी ली जा सकेंगी एवं विभिन्न परियोजनाओं में स्थानांतरणीय होंगी।

15. अभ्यर्थी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

16. श्री रामनाथ पिता चैतराम कंपनी में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्व में जारी रोजगार के एवज में भत्ता संबंधी आदेश क्रमांक 1326 रायपुर दिनांक 27.08.2012 स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

17. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से अभ्यर्थी के संबंध में पूर्व में जारी अटेण्डेंट (सुरक्षा कर्मचारी) का रोजगार आदेश क्रमांक 147 दिनांक 09.01.2017 स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

सूचना का अधिकार अधि. 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदत्त – कार्या.मु.अभि. (मा.सं.) छ.ग. वि.उ. कं. मर्या. रायपुर छ.ग.

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

क्रमांकः 03–11 / डीजीएम–दो / 792 रायपुर, दिनांक 23.02.2017

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर, जिला जांजगीर–चांपा।
02. कार्यपालक निदेशक(उत्पादन / संचा.संधा–उत्पा / वित्त), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा परियोजना / रायपुर।
03. सलाहकार(सुरक्षा एवं अग्निशमन), छ0रा0वि0उ0हो0मर्या0, रायपुर।
04. अति.मुख्य अभियंता(संचा–संधा–उत्पादन / सिविल परि.), छ0रा0वि0उ0कं0म0, मड़वा परियोजना।
05. अधीक्षण अभियंता(मा.संसा.), छ0रा0वि0उ0कं0मर्या0, मड़वा परियोजना।
06. अधीक्षण अभियंता(सिविल)वृत्त–तीन, छ0रा0वि0उ0कं0मर्या0, मड़वा परियोजना।
07. वरि0लेखाधिकारी, छ0रा0वि0उत्पा0कं0मर्या0, मड़वा परियोजना।
08. सुरक्षाधिकारी, छ0रा0वि0उत्पा0कं0मर्या0, एचटीपीएस, कोरबा पश्चिम।
09. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक छ0रा0व.उ.कं.मर्या.रायपुर।
10. श्री रामनाथ पिता चैतराम, ग्राम मड़वा।
–द्वारा कार्यपालक निदेशक (उत्पादन), छ0रा0वि0उ0कं0मर्या0, मड़वा परियोजना।
– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रबंधक (मा.संसा.)
छ.रा.वि.उ.कं.म.:रायपुर

D:\LA 2017\order\marwa\new orders\new orders 2016\41 ramnath chaitram SG, JAF.docx

O/o CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 2420
Date 21.3.17

प्रति,

जन सूचना अधिकारी
मुख्य अभियंता
मानव संसाधन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ~~मण्डल~~ उत्पादन कं. लिमि. रायपुर

विषयः— सूचना के अधिकार के तहत् जानकारी लेने बाबत्।
महोदय,

विषय अंतर्गत है कि ग्राम मड़वा तेन्दूभॉठा का भूमि स्वामी है जिसमें खसरा नं 273/2 है जिसका परची सम्मिलित खाता है जिसमें जगदीश,रामनाथ, रामकुमारी,राजकुमारी पिता चैतराम के नाम से सम्मिलित है । जिसमें रामनाथ साहू का नौकरी छ.ग. विद्युत मण्डल मड़वा तेन्दूभॉठा में नौकरी लगा लिया गया जिसका आदेश दिनांक सूचना के अधिकार के तहत् कापी देने की महान कृपा करें।

नोट— शासन की कागज का खर्च आयेगा उसका वहन करने के लिए तैयार हूँ। साथ में 10 रू पटा रहा हूँ।

जगदीश प्रसाद साहू
आवेदक
जगदीश प्रसाद साहू
पिता चैतराम साहू
ग्राम पोस्ट बसंतपुर
जिला जांजगीर —चांपा
मो. नं. 9926968024,8821011385

DGM-I
M-II
M-III

EE(T)
AE(P)
22/03/17